इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 504] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 24 नवम्बर 2011—अग्रहायण 3, शक 1933

गृह (सी-अनुभाग) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2011

क्र. एफ-19-34-2001-सी-1.—मध्यप्रदेश, विशेष सुरक्षा अधिनियम, 2000 (क्रमांक 17 सन् 2001) की धारा 3 की उपधारा (1) सहपठित उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24 दिसम्बर 2010 की वैधता में और एक वर्ष की कालावधि की वृद्धि करती है, जिसके द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) और उसके दो अग्र संगठन अर्थात् (1) क्रांतिकारी किसान कमेटी (के.के.सी.) तथा (2) क्रांतिकारी जन कमेटी (के.जे.सी.) विधि विरुद्ध संगठन के रूप में घोषित किये गये थे.

यह अधिसूचना दिनांक 18 नवम्बर 2011 से एक वर्ष के लिए प्रवृत्त रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक रंजन, सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2011

क्र. एफ-19-34-2001-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24 नवम्बर, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक रंजन, सचिव.

Bhopal, the 24th November, 2011

F. No. 19-34-2001-C-1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (4) of Section 3 of the Madhya Pradesh Vishesh Kshetra Suraksha Adhiniyam, 2000 (No. 17 of 2001) the State Government, hereby, extend the validity of this Deapartment's notification of even number dated 24th December, 2010 for a further period of one year, whereby Communist Party of India (Maoist) and its tow front organizations namely; (1) Krantikari Kisan Committee (K.K.C.) and (2) Krantikari Jan Committee (K.J.C.) were declared as unlawful Organizations.

This Notification will remain in force for one year with effect from 18th November, 2011.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ALOK RANJAN, Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.